न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 52/2023 | दायर दिनांक 03.02.2023 | निर्णय दिनांक 16.04.2024

उनवान

1. सवाईराम पुत्र नारायण गाडरी, उम्र वयस्क निवासी एकलिंगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पुत्र नारायण गाडरी, उम्र वयस्क निवासी एकलिगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा
3. मथुरा पुत्र नारायण गाडरी, उम्र वयस्क निवासी एकलिगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा
4. गंगा पुत्री नारायण गाडरी, उम्र वयस्क निवासी एकलिगपुरा तह0 एवं जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा

विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी अब्दुल रफीक पठारी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 16/04/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– क्रमशः 1086/13, 13/2, 14/2, कल किता 03 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पार्थीगण के पिता नारायण के नाम पर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण के पिता अमरचंद, नारायण, मोहन, पुत्र जाईंग गाडरी नाम पुराने रेकार्ड में दर्ज था। जिसे हाल रेकार्ड में अमरचंद, नारायण, मोहन पुत्र गांगा गाडरी दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त कराने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत् 2044–2047 की प्रमाणीत प्रति प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थीगण के पिता अमरचंद, नारायण, मोहन पुत्र जाईंग गाडरी का नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपती प्रकट नहीं की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं ग्राम एकलिंगपुरा के आराजी नम्बर 13/2, 14/2 कुल किता 02 कुल रकबा 8 बिघा 11 बिस्वा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2044–2047 में अमरचंद, नारायण, मोहन पिता गांगा गाडरी दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 1049/13 रकबा 16 बिस्वा भूमि अमरचंद, नारायण, मोहन पिता जाईंग गाडरी जमाबन्दी सम्वत् 2044–2047 में दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार जमाबदी 2039–2042, 2048–2051, 2052–2055, 2056–2059, 2060–2063, 2064–2067, 2068–2071, 2072–2075 में भी उपरोक्त आराजियात में खातेदारों का नाम अंकित है। वर्तमान जमाबंदी मे आराजी नम्बर 1086/13, 13/2, 14/2 में प्रार्थीगण के पिता नारायण के पिता का नाम गांगा के बजाय जाईंग अंकित किये जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम एकलिंगपुरा पटवार हल्का तिलोली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– कमशः 1086/13, 13/2, 14/2, कल किता 03 कुल रकबा 0.7840 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित प्रार्थीगण के पिता नारायण के पिता का नाम गांगा के बजाय जाईंग नाम परिवर्तन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार भीलवाड़ा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को प्रेषित की जाए।

(आ[illegible]निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा